तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकेश कुमार पुत्र माँगीलाल माली मु.पो. जवाली तह. रानी जिला पाली बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 52/2022 जीसीएमएस नं. :– 2022/138 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/4/22	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई । विभागीय प्रतिनिधी उपस्थित। अपीलार्थी अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 13.1..2022 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी से चाही गई थी। परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलोत्तर क्रमांक 1148 दिनांक 31.3.2022 में वर्णित बिन्दुओ को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना कार्यालय में खोजी गई खोजने पर नहीं मिलने से कार्यालय स्तर से एक कमेटी का गठन कर कमेटी को निर्देशित किया गया कि वांछित सूचना मिलते ही प्रार्थी/अपीलार्थी को उपलब्ध करावे। इस बाबत अपीलार्थी को इस पत्र की मूल प्रति जरिये पत्रांक 1149 दिनांक 31.3.2022 के प्रेषित कर अवगत करा दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित सूचना नहीं मिलने पर खोजने हेतु कमेटी का गठन किया गया है तथा इस आशय का निवेदन किया है वांछित सूचना मिलने पर अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी जायेगी। प्रार्थी/अपीलार्थी न्यायालय में आज न तो व्यक्तिशः उपस्थित हुए है तथा न ही इस बाबत कोई प्रत्युत्तर ही प्रेषित किया है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देसूरी को प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र का निस्तारण करना चाहिए। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/ अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे। 6. निर्णय आज दिनांक 1/4/22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (नमित मेहता) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली	